Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited,
Udyog-Bhawan, Tilak-Marg, Jaipur-302005

File No: IPI/P.6/Policy/3/2012/Part-II 1297
Date: ~~August~~ 09- SEP, 2024

OFFICE ORDER (15/2024)

Sub: Partial modification in the policy for providing land on rent cum license basis for establishment of a Dairy Booth in the services area of RIICO Industrial Areas.

The Infrastructure Development Committee (IDC) vide item (7) in its meeting held on 30.07.2024 has accorded approval for modification/re-determination of rental value of land related to policy for providing land on rent cum license basis for establishment of a Dairy Booth in the services area of RIICO Industrial Areas considering the location and importance of industrial areas as under:

<table>
<tr><th>Policy No.</th><th>Existing Provision</th><th>Modified Provision</th></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">भूमि किराया अनुज्ञप्ति आधार पर दिये जाने से सम्बन्धित प्रक्रिया:–</td></tr>
<tr><td>(vi)</td><td>जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा प्रत्येक बूथ आवंटन 15 वर्ष की अवधि के लिए एक मुश्त किराया निम्नानुसार जमा कराना होगा:–
<table>
<tr><th>स्थानीय निकाय की श्रेणी</th><th>एक मुश्त किराया/ लीज राशि</th></tr>
<tr><td>नगर निगम</td><td>₹ 15,000</td></tr>
<tr><td>नगर परिषद्</td><td>₹ 12,000</td></tr>
<tr><td>नगर पालिका मण्डल</td><td>₹ 8,000</td></tr>
</table>
किराया राशि पर देय जीएसटी भी जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड को जमा करानी होगी।</td><td>जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा प्रत्येक बूथ आवंटन 15 वर्ष की अवधि के लिए एक मुश्त किराया जमा कराना होगा जिसकी गणना रीको द्वारा निम्नानुसार की जावेगी:–
(1) डेयरी बूथ के लिए किराए की गणना हेतु भूमि का मूल्य सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्र की प्रचलित दर से दो गुना माना जावेगा।
(2) वार्षिक प्रतिफल बिन्दु संख्या (1) के अनुसार गणना की गई भूमि मूल्य का 10% प्रति वर्ष के रूप में लिया जावेगा।
(3) उपरोक्त मानदंड (1) एवं (2) के आधार पर गणना किया गया किराया अधिकतम ₹ 2,000/– प्रतिमाह से अधिक देय नहीं होगा।
(4) उपरोक्त मानदण्डों के आधार पर गणना किए गए किराए में हर तीन वर्ष में 10% की वृद्धि की जावेगी। तद्नुसार ही मासिक किराये की अभिवृद्धि होकर गणना की जावेगी।
(5) किराया राशि पर देय जीएसटी भी जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड को जमा करानी होगी।</td></tr>
<tr><td>(xv)</td><td>-</td><td>भविष्य में प्रशासनिक कारणों यथा ट्रेफिक जाम या डेयरी बूथ के कारण अवरोध विशेष की स्थिति में इकाई प्रमुख की अभिशंषा पर किराया अनुज्ञप्ति निगम द्वारा प्रत्याहरित किये जाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।</td></tr>
</table>

The Office Order (10/2024) dated 24.04.2024 is withdrawn with immediate effect.

(Gaurav Chaturvedi)
Advisor (Infra)